

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- गफ 2 (ग) (केडर नियु) अलेसे । / 7/0

दिनांक :- 13.7.2023

आदेश संख्या : 10/2023-24

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(11)एफडी/रिवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा निदेशक एवम् संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक क्रमांक F 3(C)II(94) राईस/अका./ बजट घोषणा-39(IV)/2023/42 दिनांक 17/04/2023 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की काडर स्ट्रेन्थ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स .ले.अ .- ।	स .ले.अ .- ॥	क .लेखाकार	स .ले.अ .- ।	स .ले.अ .- ॥	क .लेखाकार
1	प्रधानाचार्य अनूसूचित जाते बालक आवासीय विद्यालय रावतभाटा चित्तौड़गढ़ (8001407)	0	0	0	0	0	1

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स .ले.अ .-I	स .ले.अ .-II	क .लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रैथ	2467	3778	5567	11812
नवीन कैडर स्ट्रेथ	2467	3778	5568	11813

अभिषेक
(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे ।। 710

दिनांक :- 13.7.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, विन (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेमे I/ II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)